

बिहार सरकार  
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक 27/08/2018

संख्या-1/वि01-15/2012.....99...../बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम-21 में निहित प्रावधानों के आलोक में प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना में अन्तर्निहित वित्तीय शक्तियों के तहत मुख्यालय में सामग्री क्रय, दूरभाष, टेलीविजन रिचार्ज, वाहन ईंधन, न्यायालय व्यय, अतिथि व्यय एवं अन्य आकस्मिक व्यय के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र तक भुगतान की स्वीकृति की शक्तियाँ विभागीय संयुक्त सचिव को प्रत्यायोजित की जाती है।

2. संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर नियोजित कर्मियों को स्वीकृत मासिक संविदा/पारिश्रमिक राशि के भुगतान की स्वीकृति की शक्तियाँ भी संयुक्त सचिव को प्रत्यायोजित की जाती है।

3. पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-22 ज्ञापांक-117 दिनांक 31.01.2017 एवं आदेश संख्या-141 सहपठित ज्ञापांक-1816 दिनांक 19.12.2017 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

(रवि परमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- ...../

पटना, दिनांक ...../2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 1097 /

पटना, दिनांक 27/08/2018

प्रतिलिपि- विभागीय मा0 मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/सभी उप सचिव/सभी निदेशक/अवर सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक/ लेखाशाखा, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।  
27/8/18  
+unhi